छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 1165/2003

रानू और पांच अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु दिनांक 21.08.2006 को नियत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
दिलीप रावसाहब देशमुख
न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 1165/2003

समक्षः माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

रानू और पांच अन्य।

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थिति :

श्री. वी. पी. गुप्ता, अपीलार्थी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता।

श्री. प्रफुल्ल एन. भरत, अपीलकर्ता संख्या 4 से 6 के विद्वान अधिवक्ता ।

श्री एम.पी.एस. भाटिया, राज्य शासन के लिए विद्वान पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(21 अगस्त 2006 को दिया गया)

1. इस अपील में अपीलकर्ताओं ने स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (जिसे बाद में अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 20(ख) (ii)(ग) सहपठित धारा 29 के तहत अपनी दोषसिद्धि और 10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक के रु 1 लाख

जुर्माने की सजा तथा चूक होने पर 2 वर्ष के सश्रम कारावास के दंड को चुनौती दी है, जो विशेष प्रकरण क्रमांक 17/2003 में विशेष तत्कालीन न्यायाधीश जगदलपुर श्री आर.एस. शर्मा द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2003 के निर्णय के तहत दी गई थी।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि यह गुप्त सूचना मिलने पर कि अपीलकर्ता–रानू ने 5–6 व्यक्तियों की सहायता से अपने घर में प्लास्टिक की थैलियों में विनिषिद्ध गांजा रखा है, पुलिस थाने नगरनार के थाना प्रभारी अलीम खान आ.स.7 ने प्रदर्श पी.1 के तहत उक्त सूचना और प्रदर्श पी.23 के तहत तलाशी वारंट प्राप्त न करने का कारण दर्ज करने के बाद और सूचना के आधार पर जगदलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदर्श पी.24 के तहत, गवाह साधुराम आ.स.1 और मोहम्मद हाफिज आ.स.2 के साथ ग्राम कुम्हली के लिए रवाना हुए। अपीलकर्ता के घर पहुंचने पर, अपीलकर्ता रानू को प्राप्त गुप्त सूचना के बारे में सूचित करते हुए नोटिस दिया गया। घर की तलाशी ली गई। जैसा कि मानचित्र प्रदर्श पी.26 में दिखाया गया है, अपीलकर्ता रानू के घर के एक कमरे के अंदर 10 बैग पाए गए। वजन करने पर, यह 1 क्विंटल 3 किलोग्राम और 360 ग्राम पाया गया। प्रत्येक बैग से 30 ग्राम के दो नमूने लिए गए और उन्हें सील कर दिया गया। शेष बैगों को भी सील कर दिया गया। जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी.14 तैयार किया गया था। अपीलकर्ता रानू, सोनामणी आ.स.3, अपीलकर्ता रानू की बेटी और अपीलकर्ता रानू की पत्नी श्रीमती चंदरबती आ.स.4 से प्राप्त जानकारी पर, शेष सह–आरोपियों को भी उसी दिन जदिगुड़ापारा बाजार में शाम 5:50 बजे गिरफ्तार किया गया और उनके आधिपत्य से पांचों अपीलकर्ताओं यानी अपीलकर्ता क्रमांक 2 से 6 में से प्रत्येक से एक बांस का कांवड़ (बैग को संतुलित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बांस का एक टुकड़ा) और रस्सी जब्त की गई। **न**मूना पैकेट और साथ ही गांजा के शेष 10 बैग को थाना के मालखाने में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सौंप दिया गया। नगरनार में प्रधान आरक्षक जनकुश टोप्पो आ.स.6 को, जिन्होंने

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.27 में विवरण दर्ज किया। प्रार्थी क्रमांक 2 से 5 से बरामद पांच कांवड़ और रस्सी को भी 22.4.2003 को मालखाना पंजीकृत प्रदर्श पी 21 ए (सी) में सौंप दिया गया और दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक जगदलपुर के ज्ञापन दिनांक 22.4.2003 प्रदर्श पी 36 के अनुसार ए से जे के रूप में चिह्नित 10 नमूना पैकेट रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायलयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को आरक्षक क्रमांक 76 – लिनुस कुजूर के माध्यम से भेजे गए। नमूना पैकेट 24.4.2003 को एफ.एस.एल. में प्राप्त हुए, रिपोर्ट प्रदर्श पी.38 के अनुसार यह राय दी गई कि सभी 10 नमूना पैकेट में गांजा है। विवेचना पूरी होने के बाद अपीलकर्ता पर अधिनियम की धारा 20 (ख) (ii) (ग) के सहपठित धारा 29 के तहत अभियोजन चलाया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अपीलकर्ताओं ने अपराध अस्वीकार किया व निर्दोष होने का कथन किया और बचाव पक्ष के गवाह के रूप में वन सिंह आरोपी गवाह संख्या 1 और मोतीराम आरोपी गवाह 2 का परीक्षण किया, जिन्होंने कहा कि अपीलकर्ता संख्या एक रानू ने पूर्व दुश्मनी के कारण अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 को झूठा फंसाया था। अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों का परीक्षण किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और पैराग्राफ 1 में पूर्वोक्त अनुसार दंडित किया।

4. अपीलकर्ता संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी.गुप्ता ने इस आधार पर आक्षेपित निर्णय का विरोध किया कि यह सिद्ध नहीं हुआ कि अपीलकर्ता रानू के सचेतन कब्जे से गांजा जब्त किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि उपनिरीक्षक अलीम खान आ.स.7 द्वारा अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) का पालन न करने के कारण अभियोजन दूषित हो गया है यह भी तर्क दिया गया कि स्वतंत्र गवाह साधुराम आ.स.1 और मुहम्मद हाफिज आ.स 2 ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया और

अपीलकर्ता संख्या 2 से 3 को केवल अपीलकर्ता रानू के परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए निरपराध सिद्ध करने वाले कथन के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

5. अपीलकर्ता संख्या 4 से 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन. भरत ने तर्क दिया कि धारा 52 की उपधारा (3) का बिल्कुल अनुपालन नहीं किया गया है। **राजेश बनाम राज्य 1989(3) अपराध 638** पर भरोसा किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि यदि सोनामणि आ.स.3 और चंदरबती आ.स.4 की गवाही को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो यह अपीलकर्ता रानू द्वारा जब्त गांजा की मात्रा पर सचेतन कब्जे को स्थापित नहीं करता है, मानचित्र प्रदर्श पी 26 से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता रानू के घर के कमरे के अंदर कांवड के साथ विनिषिद्ध गांजा और प्लास्टिक की थैलियां पाई गईं, जिससे अपीलकर्ता संख्या 4 से 6 में से प्रत्येक से कांवड और रस्सी जब्त करने का तथ्य बेहद संदिग्ध हो गया। **अवतार सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2002)7 एसएससी 419**, **गोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2002)9 एससीसी 595** और **गुरबख्श सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2003)1, एससीसी 28** पर भरोसा किया गया, जबकि तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 55 का पालन न करने से अभियोजन दूषित हो गया है ।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री एम.पी.एस.भाटिया ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया और कहा कि जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी.–14 और सील पंचनामा प्रदर्श पी.8 में नमूना पैकेटों को सील करने के लिए इस्तेमाल की गई सील की छाप और साथ ही शेष गांजा जो एफ.एस.एल. की रिपोर्ट में बनाई गई सील की छाप से मेल खाता था। इस प्रकार अधिनियम की धारा 55 का पर्याप्त अनुपालन हुआ था। यह भी तर्क दिया गया कि हालांकि साधुराम आ.स.1 और मोहम्मद हाफिज आ.स.2 ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया, फिर भी अपीलकर्ता–रानू के दो करीबी रिश्तेदारों यानी बेटी सोनामणि आ.स –03 और पत्नी चंदरबती आ.स.4 की गवाही ने संदेह से परे साबित कर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दिया कि 10 बैगों में विनिषिद्ध गांजा अपीलकर्ता–रानू के घर से पुलिस द्वारा बरामद किया गया था।

7. प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार करने के बाद, मैंने विशेष सत्र मामला संख्या 17/2003 के अभिलेख का भी सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों में बार–बार यह दोहराया गया है कि अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के तहत अपराध के लिए न्यूनतम 10 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने की कठोर सजा का प्रावधान है, और इसलिए अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना आवश्यक था कि जिन नमूनों को जब्त किए गए विनिषिद्ध पदार्थ गां जा और सैंपल पॉकेट्स को न केवल जब्ती करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा, बल्कि संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी द्वारा भी पुलिस थाने के मालखाने में सुरक्षित रखने के लिए सौंपने से पहले सील किया गया था। जब अभियोजन पक्ष द्वारा दिखाया गया है कि उप निरीक्षक अलीम खान द्वारा सील किए गए 20 सैंपल पैकेटों में से केवल 10 सैंपल पॉकेट्स को रासायनिक परीक्षण के लिए 4 न्यायलयिक विज्ञान प्रयोगशाला,भेजा गया था, तो अभियोजन पक्ष के लिए यह बिल्कुल आवश्यक था कि वह शेष 10 सीलबंद सैंपल पैकेट और 1 क्विंटल 2 किलोग्राम और 760 ग्राम गांजे की शेष मात्रा को 10 सीलबंद बैगों में विचारण न्यायालय में पेश करता। अगर ऐसा किया गया होता, तो विद्वान विचारण न्यायाधीश को शेष 10 सैंपल पॉकेट्स पर सील की तुलना जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी.14 और सील पंचनामा प्रदर्श पी.8 पर चिपकाए गए सील के नमूना छाप के साथ करने का अवसर मिलता। यह अपीलकर्ताओं के लिए भी लाभदायक होता क्योंकि वे यह भी प्रदर्शित कर सकते थे कि नमूने, अधिनियम की धारा 55 के अनुसार उचित रूप से अलग नहीं किए गए थे। विचारण न्यायालय के दिनांक 20.6.2003 के आदेश पत्र से स्पष्ट है कि शेष 10 नमूना पैकेट और उनमें सीलबंद गांजे की मात्रा भी विचारण न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. <u>जितेंद्र एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2003 एस.ए.आर. (आपराधिक) 902</u> मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि अधिनियम की धारा 20 (ख) के अंतर्गत अपराध के मुकदमे में, अभियोजन पक्ष के लिए ठोस साक्ष्यों द्वारा यह स्थापित करना आवश्यक था कि सह–आरोपी के कब्जे से कथित मात्रा में चरस और गांजा जब्त किया गया था। सबसे अच्छा साक्ष्य जब्त की गई सामग्री होती, जिसे विचारण के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और भौतिक वस्तुओं के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए था। अभियोजन पक्ष द्वारा इस विफलता का कोई स्पष्टीकरण विचारण न्यायलय के समक्ष वस्तुएं पेश करने का नहीं दिया गया। यह पाया गया कि चूंकि पक्ष दोषी हो गए थे, इसलिए जब्ती पंचनामा कुछ और नहीं बल्कि संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा गया एक दस्तावेज था। यह भी माना गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा विनिषिद्ध गांजा और शेष नमूना पैकेट विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करने में विफलता महज एक प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं थी और इससे अभियुक्तों के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ। वर्तमान मामले में, विचारण न्यायलय के समक्ष गांजे की 10 बोरियों और 10 सीलबंद नमूना पैकेटों को पेश न करना अभियोजन पक्ष द्वारा सर्वोत्तम साक्ष्य को दबाने के समान है, जिससे अभियुक्तों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है। अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायलय के समक्ष उपरोक्त वस्तुएं पेश करने में विफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह परिस्थिति अभियोजन पक्ष के विरुद्ध है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भारी भार था कि जब्त की गई वस्तुओं को उचित तरीके से अलग रखा गया था और विश्लेषण के लिए एफ.एस.एल. में जांच किए जाने तक उचित अभिरक्षा में रखा गया था। अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि मामले की संपत्ति की पवित्रता को जब्ती के समय से लेकर रासायनिक परीक्षक के कार्यालय में इसकी प्राप्ति के चरण तक किसी भी समय नष्ट या भंग नहीं किया गया था।

यद्यपि उप–निरीक्षक अलीम खान अ.सा.7 ने पैरा 4 में कहा कि अपीलकर्ता–रानू के घर से 10 बोरियों में रखे 1 क्विंटल 3 किलोग्राम और 360 ग्राम गांजा बरामद करने और उसका वजन कराने के बाद उन्होंने प्रत्येक बैग से 30 ग्राम के दो नमूने उठाए थे और प्रत्येक नमूना पैकेट और शेष गांजे को अलग से सील कर दिया था और प्रदर्श पी.8 के अनुसार सील पंचनामा भी तैयार किया था जो उनके द्वारा प्रयोग किए गए सील की छाप थी हालाँकि, पैरा 8 में, उन्होंने यह नहीं बताया कि गांजा से भरे जब्त बैग और नमूने के पैकेट को सीलबंद हालत में मालखाना मोहर्रिर जनकुश टोप्पो अ.सा.6 को सौंपा गया था: अभियोजन पक्ष ने जनकुश टोप्पो मालखाना मोहर्रिर थाना नगरनार का अ.सा.6 के रूप में परीक्षण कराया, जिसने यह नहीं बताया कि उसे मालखाने में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सीलबंद हालत में 20 सैंपल पैकेट मिले थे, जिनमें प्रत्येक में 30 ग्राम गांजा था। उसने मालखाना में दर्ज प्रदर्श पी.27(सी) को साबित किया, जो यह भी नहीं दर्शाता है कि गांजा युक्त 10 बैग और 20 सैंपल पैकेट को सीलबंद हालत में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सौंपा गया था। इससे उपनिरीक्षक अलीम खान अ.सा. 7 की गवाही अविश्वसनीय हो जाती है और यह गंभीर संदेह पैदा करती है कि जब्ती के समय नमूना पैकेट , प्रदर्श पी. 14 के अनुसार सीलबंद थे उपनिरीक्षक अलीम खान अ.सा.7 ने यह भी नहीं बताया कि नगरनार थाने के प्रभारी के रूप में, प्रधान आरक्षक जनकुश टोप्पो अ.स 6 को पुलिस थाना नगरनार में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए 10 बैग विनिषिद्ध गांजा और 20 नमूना पैकेट सौंपने से पहले उन्होंने 20 नमूना पैकेट पर अपनी सील लगाई थी। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 55 का पूरी तरह अप ा लन हुआ है। इस प्रकार वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य एक कड़ी गायब है।

10. उप–निरीक्षक अलीम खान अ.सा.7 द्वारा घटनास्थल पर तैयार किया गया मानचित्र, प्रदर्श पी.26 के अनुसार, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलकर्ता रानू के घर के अंदर 5

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

काँवड़ और प्रत्येक में दो बैग रखे हुए थे। यह स्पष्ट रूप से एक ही दिन किसी अन्य स्थान अर्थात जदिगुड़ापारा बाजार से अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 तक प्रत्येक से एक कांवड़ और रस्सी का एक टुकड़ा जब्त करने की उनकी गवाही को संदिग्ध बनाता है। उप–निरीक्षक अलीम खान अ.स 7 ने पैरा 12 में स्वीकार किया कि केवल अपीलकर्ता रानू और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, उन्होंने अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 के खिलाफ कार्यवाही की थी। सोनामणि अ.स 3 और चंदरबती अ.स 4 ने गवाही दी कि उस दिन गंगाराम और फरसू नामक लोगों ने उनके घर के अंदर विनिषिद्ध गांजा रखा था। उन्होंने अपीलकर्ता संख्या 2, 4, 5 और 6 का नाम नहीं लिया। उनकी गवाही से यह बात सामने नहीं आई कि गंगाराम और अपीलकर्ता संख्या 2 एक ही व्यक्ति थे। इन दोनों गवाहों ने अपीलकर्ता संख्या 2 को उस व्यक्ति के रूप में न्यायालय में नहीं पहचाना जिसने अपीलकर्ता– रानू के घर में गांजा रखा था। उप–निरीक्षक अलीम खान ने कहा कि यदि अपीलकर्ता रानू के परिवार के सदस्य ने अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिया होता तो वह उस व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ते। इस प्रकार उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि अपीलकर्ता– रानू के घर में गांजा से भरे 10 बैग किसने रखे थे। केवल एक आरोपी या उसके रिश्तेदार निरपराध सिद्ध करने के बयान के आधार पर अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 के खिलाफ कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। उपरोक्त तथ्य और परिस्थितियों में यह अत्यधिक संदिग्ध हो जाता है कि अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 ने दिनांक 21.4.2003 को अपीलकर्ता रानू के घर में प्रतिबंधित गांजा रखा था। जैसा कि पहले बताया गया है, उपनिरीक्षक अलीम खान द्वारा तैयार किया गया घटना स्थान का मानचित्र प्रदर्श पी.26 दर्शाता है कि अपीलकर्ता रानू के घर के अंदर गांजे की दो थैलियों के साथ 5 काँवड़ पाए गए। इस मामले के मद्देनजर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता संख्या 1– रानू के घर से प्रतिबंधित गांजा के लिए अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 की सह अपराधिता साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है।

11. यह ध्यान देने योग्य है कि मालखाना रजिस्टर में दिनांक 21.4.2003 की प्रविष्टि प्रदर्श पी 21 ए (सी) यह नहीं दर्शाती है कि 20 नमूना पैकेट सीलबंद हालत में प्रधान आरक्षक जनकुश टोप्पो अ.सा.6 को सौंपे गए थे। हालाँकि, यह प्रविष्टि दर्शाती है कि 23.4.2003 को सीलबंद हालत में 10 नमूना पैकेट एफ.एस.एल., रायपुर भेजे गए थे, लेकिन यह दर्शाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उन दस नमूना पैकेटों को किसने और कब सील किया था। यदि नमूना पैकेट को सीलबंद हालत में मालखाने में नहीं सौंपा गया था और अधिनियम की धारा 55 के अपालन को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था, तो मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.21 ए (सी) में दिनांक 23.4.2003 को मात्र पृष्ठांकन अभियोजन पक्ष को किसी भी तरह से मदद नहीं करता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पास प्रधान आरक्षक जनकुश टोप्पो अ.सा.6 ने भी पैरा 2 में यह गवाही नहीं दी है कि 23.4.2003 को नमूना पैकेट आरक्षक नीलस कुजूर के माध्यम से एफ.एस.एल. को सीलबंद हालत में भेजे गए थे। अधिनियम की धारा 55 का अनुपालन न करने से जब्ती के समय या पुलिस थाना नगरनार के मालखाने में सौंपने से पहले नमूना पैकेटों को सील करने के संबंध में साक्ष्य की सराहना पर असर पड़ेगा और अभियोजन पक्ष की कहानी में गंभीर सेंध लगेगी और उप निरीक्षक अलीम खान अ.सा.7 की गवाही को संदिग्ध बना देगी ।

12. अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अंतर्गत कब्जा रखना अपराध का मुख्य घटक है। अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह यह सिद्ध करे कि 10 बोरी प्रतिबंधित गांजा अपीलकर्ता संख्या 1 के अनन्य और सचेतन कब्जे में पाया गया था। साधुराम कोटवार अ.सा.1 और मोहम्मद हाफिज अ.सा.–2, जो स्वतंत्र गवाह थे और उप–निरीक्षक अलीम खान के साथ कुम्हली गाँव गए थे, ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

किया और कहा कि उन्हें पुलिस थाने बुलाया गया था और उन्होंने वहीं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों ने अपनी उपस्थिति में अपीलकर्ता रानू के घर से 10 बोरी गांजा जब्त होने से इनकार किया। राज्य सरकार के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. भाटिया ने सोनामणि अ.सा..3 और चंदरबती अ.सा.4. की गवाही पर ज़ोर देते हुए तर्क दिया कि ये दोनों गवाह अपीलकर्ता संख्या 1–रानू के करीबी रिश्तेदार थे और उनकी गवाही से यह स्थापित होता है कि अपीलकर्ता–रानू के सचेतन कब्जे से गांजा ज़ब्त किया गया था। हालाँकि, यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर सोनामणि अ.सा..3 और चंदरबती अ.सा..4 की गवाही पर भरोसा किया जाए, तो उनके बयान को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। सोनामणि अ.सा.3 और चंदरबती अ.सा..4 ने कहा कि दो व्यक्ति गंगाराम और फरसू ने यह कहते हुए बैग उनके घर में रखा था कि इसमें महुआ है। सोनामणि अ.सा..3 के बयान से यह पता नहीं चलता है कि उस समय अपीलकर्ता रानू मौजूद थी। चंदरबती अ.सा..4 ने यह भी कहा कि गंगाराम और फरसू ने उसके घर में महुआ से भरे केवल दो या तीन बैग रखे थे। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उसने नहीं देखा कि उसके घर में गांजा किसने रखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता रानू को बचाने के लिए इन दोनों गवाहों ने गंगाराम और फरसू पर दोष मढ़ने की कोशिश की है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, उनके बयान से यह स्पष्ट नहीं होता है कि गंगाराम और अपीलकर्ता नंबर 2 एक ही व्यक्ति थे। इस मामले को देखते हुए, सोनामणि अ.सा.3 और चंदरबती अ.सा..4 की गवाही अभियोजन पक्ष की मदद के लिए अपीलकर्ता रानू के घर से कथित रूप से जब्त किए गए प्रतिबंधित गांजे से भरे दस बैगों पर सचेतन कब्जा साबित करने में नहीं आती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. उप निरीक्षक अलीम खान अ.सा.7 ने प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 12 में स्वीकार किया कि तलाशी के समय अपीलकर्ता–रानू के परिवार के अन्य सदस्य भी घर में मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि चूंकि उन्हें केवल अपीलकर्ता–रानू के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, इसलिए उन्होंने यह पूछताछ करना उचित नहीं समझा कि परिवार के किसी अन्य सदस्य ने घर के अंदर विनिषिद्ध गांजा रखा था या नहीं। पैराग्राफ 13 में यह स्वीकार किया गया कि ग्रामीण दूर से कार्यवाही देख रहे थे लेकिन उन्होंने किसी ग्रामीण को जब्ती का गवाह बनने के लिए नहीं कहा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अपीलकर्ता–रानू की पत्नी और बच्चे भी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर में मौजूद थे। सोनामणि अ.सा.3 और चंदरबती अ.सा.4 की गवाही से पता चलता है कि वे वही व्यक्ति थे जिन्होंने गंगाराम और फरसू द्वारा उनके घर में रखे बैग प्राप्त किए थे। उप निरीक्षक अलीम खान ने स्वतंत्र रूप से यह पूछताछ करना आवश्यक नहीं समझा कि अपीलकर्ता संख्या एक के घर में विनिषिद्ध गांजा किसने रखा था और उन्होंने अपीलकर्ता संख्या 1 के परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए निरपराध सिद्ध करने वाले कथन के आधार पर अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 को केवल फंसाया। घटनास्थल का मानचित्र प्रदर्श पी.26 यह भी दर्शाता है कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 के घर के अंदर 5 कांवड़ के साथ प्रतिबंधित गांजा रखा गया था। अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि संबंधित घर अपीलकर्ता क्रमांक 1–रानू के एकमात्र कब्जे में था क्योंकि उप निरीक्षक अलीम खान ने स्वीकार किया था कि अपीलकर्ता–रानू के परिवार के अन्य सदस्य तथा पत्नी और बच्चे भी घर में मौजूद थे। स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ न करना, हालाँकि वे घटनास्थल पर मौजूद थे, उप निरीक्षक अलीम खान की गवाही को भी संदिग्ध बनाता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह दर्शाने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त हैं कि जो जब्त किया गया था वह केवल अपीलकर्ता क्रमांक 1 के सचेतन कब्जे में था।

14. अभियोजन पक्ष ने आरक्षक नीलस कुजूर संख्या 70 का परीक्षण नहीं कराया, जिसे पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर द्वारा एफ.एस.एल. में ले जाने के लिए मेमो दिनांक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22.4.2003 प्रदर्श पी.36 के माध्यम से 10 मूना पैकेट सौंपे गए थे। न तो मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.21 ए (सी) की प्रविष्टि और न ही जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी..14 से पता चलता है कि नमूना पैकेटों पर कोई निशान थे। अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी नहीं दिखाया गया है कि एफ.एस.एल. को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए दस सीलबंद नमूना पैकेटों पर "ए से जे" के निशान किसने लगाए थे। जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी.14 से पता चलता है कि दस बैगों पर "ए से जे" के निशान थे, लेकिन नमूना पैकेटों पर नहीं। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा नमूना पैकेट विनिषिद्ध गांजा के किस बैग से मेल खाता रासायनिक परीक्षण के लिए नमूना पैकेट ले जाने वाले आरक्षक लिनुस कुजूर का परीक्षण न कराना भी दर्शाता है कि इस मामले में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य गायब है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं–;

(क) गवाह साधुराम आ.स.1 और मोहम्मद हाफिज अ.सा.2 ने अपीलकर्ता संख्या 1 के सचेतन कब्जे से 1 क्विंटल 3 किलोग्राम और 360 ग्राम गांजा की जब्ती के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया।

(ख) स्वतंत्र गवाह अर्थात ग्रामीण, यद्यपि उप–निरीक्षक अलीम खान द्वारा तलाशी और जब्ती के समय उपस्थित थे, उन्हें साक्षी के रूप में उद्धृत नहीं किया गया।

(ग) घटना स्थान प्रदर्श पी.26 अपराध में अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 की सह अपराधिता से संबंधित अभियोजन पक्ष की कहानी को अत्यधिक संदिग्ध बनाता है।

(घ) अभिलेख पर ऐसा कोई स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 ने अपीलकर्ता संख्या रानू के घर पर 10 थैलों में विनिषिद्ध गांजा रखा था।

(ङ) अधिनियम की धारा 55 का पूर्णतः अपालन हुआ है।

(च) यह अत्यंत संदिग्ध है कि 10 थैलियों में भरा हुआ विनिषिद्ध गांजा और 20 सैंपल पैकेट सीलबंद हालत में मालखाने में सुरक्षित रखा गया था।

(द्व) आरक्षक लिनुस कुजूर नं. 70, जो नमूना पैकेटों को एफ.एस.एल. में ले गए थे, की जांच न किए जाने से भी यह संदेह होता है कि नमूना पैकेटों को एफ.एस.एल. में सुपुर्दगी के लिए सौंपने से पहले 23.4.2003 को सील कर दिया गया था।

(ज) विद्वान विचारण जज के समक्ष शेष 10 नमूना पैकेट और 10 बैग विनिषिद्ध गांजा प्रस्तुत न करना भी अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध बनाता है कि नमूना पैकेट अधिनियम की धारा 55 के तहत यथा अपेक्षित ढंग से सीलबंद थे।

(झ) सोनामणि आ.स.3 और चंदरबती अ.स .4 की गवाही से यह पता नहीं चलता कि अपीलकर्ता संख्या 1–रानू ने 21.4.2003 को जानबूझकर कुछ व्यक्तियों से 10 बैग गांजा प्राप्त किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ञ) पैरा 12 और 13 में उप–निरीक्षक अलीम खान अ.स .7 की गवाही से गंभीर संदेह पैदा होता है कि विनिषिद्ध गांजा अपीलकर्ता संख्या 1–रानू के सचेतन कब्जे से बरामद किया गया था क्योंकि यह जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया था कि क्या अपीलकर्ता नंबर 1–रानू के घर से बरामद गांजा के कब्जे के लिए कोई अन्य परिवार का सदस्य, पत्नी या बच्चे जिम्मेदार थे।

(ट) यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि रासायनिक परीक्षण के लिए एफ.एस.एल. को भेजे गए 10 नमूना पैकेटों पर "ए से जे" के चिह्न कब लगाए गए थे, क्योंकि जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी.14 से यह पता नहीं चलता कि नमूना पैकेटों पर कोई चिह्न लगाए गए थे।

(ठ) मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 21 ए (सी) और प्रधान आरक्षक जनकुश टोप्पो अ.सा.6 की गवाही से गंभीर संदेह पैदा होता है कि नमूना पैकेट और शेष गांजा को सीलबंद हालत में थाना नगरनार के मालखाना के अंदर रखा गया था।

(ड) जिस सील का इस्तेमाल कथित तौर पर सैंपल पैकेटों को सील करने के लिए किया गया था, उसकी नमूना छाप भी मालखाने में संपत्ति के साथ जमा नहीं दिखाई गई है, जैसा कि प्रदर्श पी.21 ए(सी) यानी मालखाना रजिस्टर में दिखाया गया है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में साक्ष्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी गायब है।

16. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद, मेरी यह सुविचारित राय है कि साक्ष्यों से उभरे उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **वलसाला बनाम केरल राज्य 1994 (1) एम.पी.डब्ल्यू. 137** में माना है, यद्यपि भारी मात्रा में विनिषिद्ध गांजा रखना समाज के लिए एक खतरा है, किन्तु संतोषजनक प्रमाण के अभाव में, अपीलकर्ताओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

17. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) सहपठित धारा 29 के अंतर्गत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और उसके अंतर्गत दिए गए दंडादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) सहपठित धारा 29 के अंतर्गत आरोप से बरी किया जाता है और यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाएगा।

सही/–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण : हिंदी भाषा में निर्णय का अनुवाद सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह है किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। **समस्त कार्यालीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी ।**

Translated By… … … … . Avinash Singh, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur